संख्या-157/2016/आर-3699/26-3-2016-4(358)/07टी.सी.।।।

प्रेषक,

कामता प्रसाद

अनुसचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः- 01 सितम्बर 2016

विषयः- शैक्षिक सत्र 2016-17 में पूर्वदशम् (कक्षा 9 व 10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11 एवं 12) में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-100/2016/आर-1339/26-3-2016-4(215)/90 टी.सी.।।। दिनांक-30.04.2016 एवं शासनादेश संख्या-99/2016/आर-1338/26-3-2016-4(358)/07टी.सी.।।।, दिनांक-30.04.2016 तथा शासनादेश संख्या-154/2016/आर-3496/26-3-2016-4(358)/07टी.सी.।।। दिनांक-17.08.2016 द्वारा पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की प्रक्रियात्मक कार्यवाही हेतु समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

2- अतएव सम्यक्विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक-30.04.2016 एवं दिनांक-17.08.2016 द्वारा शैक्षिक सत्र 2016-17 में पूर्वदशम् (कक्षा 9 व 10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11 एवं 12) में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु आन-लाइन आवेदन किये जाने की समय-सीमा दिनांक-31.08.2016 से बढ़ाकर दिनांक-15.09.2016 तक किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। शेष अन्य प्रक्रियात्मक कार्यवाही हेतु निर्धारित की गयी तिथि पूर्ववत् रहेगी।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2016-17 में पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

कामता प्रसाद

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-157/2016/आर-3699(1)/26-3-2016 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0 शिक्षा, उ0प्र0शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

5- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

6- कुल सचिव, अब्दुल कलाम, तकनीकी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई योजना भवन, लखनऊ।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।